संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

क्रमांक / 4749 /
भोपाल, दिनांक 16/X/14

प्रति,

प्रमुख सचिव,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
म.प्र.शासन,
भोपाल

विषयः– आवास एवं पर्यावरण विभाग की सेवा क्रमाक 17.5 प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजि भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी ।

संदर्भः–शासन का प.क्र. एफ–23–62/2012/32/1 भोपाल दिनांक 24 नवंबर 2012

––0––

सेवा का उद्देश्य – म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 50 नगर विकास स्कीमों को प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाता है उक्त स्कीम में निजी भूमि सम्मिलित होती है अधिसूचित स्कीम में निजी भूमि की जानकारी नागरिकों द्वारा चाही जाती हैं । जन सुविधा की दृष्टि से उक्त सेवाओं के लिये लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्राप्त करने एवं जानकारी देने के उद्देश्य से इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी सेवा के अंतर्गत लिया जा रहा है ।

1. आवेदन पत्र का प्रारूप–

इस सेवा के लिए आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर भी आवेदन दिया जा सकता है।

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमा–

सेवा क्र	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकरी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
17.5	प्राधिकरण के बोड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजि भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी ।	प्रभारी अधिकारी,वास्तुविद् शाखा	20 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

4 **पात्रता की शर्तें–** कोई भी नागरिक

5 **आवश्यक दस्तावेज–** अधिसूचित स्कीम में किसी निजि भूमि की जानकारी । प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ प्रमाणित खसरा अक्स की प्रति जिसमें उक्त खसरा क्रमांक लाल रंग के घेरे से अथवा हेचिंग करके दर्शाया गया हो तथा चारों दिशाओं में स्थित अन्य भूमि के खसरा क्रमांक प्रदर्शित हों,तथा पी–2 फार्म / बी 1 फार्म संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

6 **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

1. सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका–5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन स्थानीय पदाभिहित अधिकारी (विकास प्राधिकरण) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में दी जावेगी।
3. पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो समय–सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।
4. आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
5. आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में संलग्न प्रपत्र–5 में किया जायेगा। एक ही आवेदन का पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
6. संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय–सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण किया जावेगा।

7 **लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

1. साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका–5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
2. आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई डी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।
3. ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्टआउट निकालकर प्रिन्टआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह **हार्डकॉपी पदाभिहित अधिकारी द्वारा** प्रतिदिन (कार्यदिवस) को विशेष वाहक के माध्यम से **प्राप्त किया जाएगा।**
4. ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का

उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।

5. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।

6. पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका–8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र समय सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदाय करेगा।

7. सेवा प्रदाय करने के लिए सेवा प्रदाय संबंधी आवेदक को भेजे जाने वाले स्वीकृति आदेश पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अतः पदाभिहित अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षरित पत्र लोक सेवा केन्द्र पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा केन्द्र संचालक पदाभिहित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी पत्र की साफ्टवेयर से प्रिन्टआउट निकालकर आवेदक को उपलब्ध करायेगा।

8. यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं इसकी सूचना ऑनलाईन आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से देगा।

9. लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटल साईन डिपाजटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिंटआउट निकालकर दिया जायेगा एवं पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा–

   प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर
लोक सेवा केन्द्र संचालक

8 आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया–

8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका–6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका–7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

8.3 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जानकारी को खसरा नक्शों से मिलान हेतु मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार या संबंधित कर्मचारी को भेजा जायेंगा। जो जानकारियों का मिलान 5 दिन की समय–सीमा में करेंगा।

8.4 संबंधित पदाभिहित अधिकारी मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार या संबंधित कर्मचारी से प्राप्त अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी सेवा प्रदान करने की निर्धारित समय–सीमा में आवेदक को उपलब्ध करायेंगे।

8.5 प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजि भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी सेवा प्रदाय संबंधी जानकारी पर परिशिष्ठ–5 पर आवेदक को प्रदाय की जायेगी। यह ऑन–लाइन जारी की जायेंगी अतैव इस पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी एवं डिजिटल हस्ताक्षर मान्य होगा।

9. शुल्क– लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित आवेदन शुल्क 30/– रु. जमा करना होगा।

इस सेवा को प्राप्त करने हेतु प्रशासकीय व्यय(शुल्क) लोक सेवा केन्द्र सचांलक द्वारा प्रतिमाह जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी के खाते में जमा किया जावेगा। उक्त जमा किया गया शुल्क सोसायटी द्वारा प्रतिमाह आवास एवं पर्यावरण विभाग के निम्न मद (शीर्ष– 0217–शहरी विकास, 60–अन्य शहरी विकास याजनाऐं, 800–अन्य प्राप्तियॉ 171–मास्टर प्लान एवं नगरीय योजनाओं की फीस से प्राप्तियॉ) में जमा किया जायेगा।

(1) आवेदक से उक्त सेवाऐं प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी की जानकारी हेतु रू.20/– प्रति खसरा क्रमांक के मान से शुल्क लिया जायेगा।

(2) एक खसरा क्रमांक के प्रत्येक बटान नंबर को पृथक–पृथक खसरा क्रमांक माना जावेगा। इस प्रकार प्रत्येक बटान नंबर हेतु रू. 20/– का प्रशासकीय व्यय देय होगा।

(3) उक्त शुल्क लोक सेवा केन्द्र के द्वारा वसूल किया जाएगा तथा वह ई–गवर्नेस सोसायटी के माध्यम से प्राधिकारी के खाते में जमा किया जावेगा ।

10. आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण– इस सेवा के संबंध में पूर्व में जारी आदेश/निर्देश एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

11. अपील–आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :–

(1) आवेदन पत्र अमान्य होने पर।

अथवा

(2) आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी–

(1) प्रथम अपील– पदाभिहित अधिकारी द्वारा किसी भी आदेश की प्रथम अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगी जो 15 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।

(2) द्वितीय अपील– प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त, को प्रस्तुत की जाएगी।

(गुलशन बामरा)
आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश भोपाल

परिशिष्ट– 1

नगर तथा ग्राम निवेश,अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित
स्कीम में निजि भूमि के सम्मिलित होने **हेतु आवेदन**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण
जिला ——————————

महोदय,

मुझे प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकलिपित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में निजि भूमि जो कि ग्राम —————— तहसील—————— जिला —————के खसरा कमांक—————— रकवा ——————— प्राधिकरण की नगर विकास स्कीम में सम्मिलित है, की जानकारी की आवश्यकता है ।

निर्धारित शुल्क लोक सेवा केन्द्र पर जमा करा दिया गया है । राजस्व नक्शे के खसरा अक्स तथा पी–2 फार्म / बी 1 फार्म की छायाप्रति संलग्न है ।
कृपया उक्त जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें ।

स्थान:
दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता एवं मोबाइल नं
————————————
————————————

नियम 5 का प्रारूप–1

परिशिष्ट– 3

म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता ____________________
____
____

1. आवेदक का नाम एवं पता एवं मोबाइल नंबर ____________________
____
____

2. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन प्राप्ति का दिनांक ____________________

3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है ____________________

4. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये है ____________________
____
____

5. निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख ____________________

स्थान....................

दिनांक..................

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रासहित)

नोटः– आवेदक के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति मे उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी ।

परिशिष्ट– 4

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम , 2010 के नियम 16 के अंतर्गत

विकास प्राधिकरण के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम–––––––––––––––––––––––

माह–––––––––––––––––वर्ष ––––––––––––––––

अनु. कमांक	लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदन पत्र कमांक एवं दिनांक	विकास प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्राप्त दिनांक	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है।	निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत / निरस्त (निरस्ती के कारण सहित)	जानकारी प्रदाय करने संबंधी पत्र का कमांक एवं दिनांक

परिशिष्ट– 5

प्राधिकरण की नगर विकास स्कीम में सम्मिलित भूमि की जानकारी

विकास प्राधिकरण जिला.................म.प्र.

प्रति,

____

____

____

विषयः– प्राधिकरण बोंड द्वारा संकलिपित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में निजि भूमि में सम्मिलित होने की जानकारी ।

संदर्भ :– आपका आवेदन दिनांक.................

प्राधिकरण द्वारा म.प्र. **नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की** धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में निजि भूमि में सम्मिलित होने की जानकारी निम्नानुसार है :–

ग्राम	खसरा कमांक	स्कीम का नाम

वास्तुविद
विकास प्राधिकरण म.प्र.